

उत्तराखण्ड राज्य पार्कगि (स्थल चयन, नरिमाण एवं संचालन इत्यादी) नयिमावली, 2022 को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

20 दसिंबर, 2022 को उत्तराखण्ड कैबिनेट ने राज्य में पार्कगि की समस्या दूर करने के लयि उत्तराखण्ड राज्य पार्कगि (स्थल चयन, नरिमाण एवं संचालन इत्यादी) नयिमावली, 2022 को मंजूरी दे दी।

प्रमुख बदि

- उत्तराखण्ड राज्य पार्कगि (स्थल चयन, नरिमाण एवं संचालन इत्यादी) नयिमावली, 2022 के अंतर्गत राज्य में अब खेती की ज़मीन पर भी खुली पार्कगि बन सकेगी। इसके लयि न तो लैंड यूज बदलने की ज़रूरत होगी और न ही कोई अन्य सरकारी अडचन आएगी।
- इस नीती के तहत चार श्रेणयिों में पार्कगि के नरिमाण होंगे। शासन स्तर से सरकारी जमीनों पर पार्कगि बनेगी। नज़ी ज़मीनों पर कोई भी व्यक्ती पार्कगि का नरिमाण कर सकेगा। सरकारी जमीनों पर नज़ी वकिसकर्त्ता भी पार्कगि का नरिमाण कर सकेगा, वही नज़ी ज़मीनों पर सरकार पार्कगि का नरिमाण कर सकेगी।
- राज्य में जो भी पार्कगि बनाएंगे, उन्हें पाँच साल तक एक रुपया प्रति यूनिट की दर से बजिली में छूट मल्लिगी। उनसे सरकार सब डविजिनल चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज भी नहीं लेगी। स्थानीय युवा वीर चंद्र सहि गढ़वाली पर्यटन स्वरोज़गार योजना के तहत लोन लेकर भी पार्कगि नरिमाण कर सकेंगे।
- अगर कोई होटल, रेस्तरां, अस्पताल या कॉलेज अपनी पार्कगि अन्यत्र बनाता है तो उसे नयिमों का पालन करने के साथ ही उस पार्कगि का एक हसिसा सार्वजनिक पार्कगि के लयि भी रखना होगा, ताकि बाहर से आने वाले लोग यहाँ वाहन पार्क कर सकें।
- राज्य में सभी शहरों में पार्कगि स्थल के चयन और वहाँ वसूले जाने वाले टैरफि के लयि संबंघति वकिस प्राधकिरण के उपाध्यकष की अधयकषता में समतिका गठन कयिा जाएगा। इस समतिका में पुलसि अधीकषक या उनका नामतिका सदस्य, नगर नयिोजन वभिग का प्रतिनिधि, अपर ज़िलाधकिारी प्रशासन, स्थानीय नकियाय से मुख्य नगर अधकिारी या अधशिसी अधकिारी, यातायात नरीकषक, अग्नशिमन अधकिारी शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में पर्यटन सीजन में पार्कगि पर्याप्त न होने की वजह से मसूरी और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर लंबे जाम लग जाते हैं। लोग घंटों जाम से जूझने के बाद या तो लौट जाते हैं या कसिी तरह आगे बढ़ पाते हैं। पार्कगि नीती आने के बाद इतनी पार्कगि हो जाएगी कि लोगों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी नहीं होगी।
- वदिति है कि राज्य में करीब 300 प्रतिशत की दर से वाहनों की संख्या बढ़ रही है। राज्य गठन के समय तीन लाख 63 हज़ार 916 वाहन थे, जनिकी संख्या अब बढ़कर करीब 28 लाख 80 हज़ार 520 पहुँच गई है। इसमें नज़ी वाहनों की संख्या ही करीब 26 लाख से अधिक है।